राजस्थान विधान सभा

अष्ठम् सत्र

कार्य-सूची

शुक्रवार, दिनांक 02 मार्च, 2012

बैठक का समय-प्रात: 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

2. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

(अ) अधिसूचनायें

श्री बृजकिशोर शर्मा, शिक्षा मंत्री, शिक्षा विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखेंगे :-

शिक्षा विभाग

1- अधिसूचना संख्या:एफ.21(19)शिक्षा-1/प्राशि/2009 दिनांक 12 जुलाई, 2010, जिसके द्वारा राज्य में प्रारम्भिक शिक्षा के लिये पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया अधिकथित करने हेतु राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर को शैक्षणिक प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है ;

2- अधिसूचना संख्या:एफ.21(19)शिक्षा-1/प्राशि/2009 दिनांक 29 मार्च, 2011, जिसके द्वारा कमजोर वर्ग के बच्चों को कतिपय श्रेणियों में चिह्नित किया गया है ;

3- अधिसूचना संख्या:एफ.21(19)शिक्षा-1/प्राशि/2009 दिनांक 29 मार्च, 2011, जिसके द्वारा सुविधाहीन वर्ग के बच्चों की श्रेणियों को चिह्नित किया गया है ;

4- अधिसूचना संख्या:एफ.21(19)शिक्षा-1/प्राशि/2009 दिनांक 29 मार्च, 2011, जिसके द्वारा राजस्थान नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 विरचित किये गये हैं ।

(ब) वार्षिक प्रतिवेदन पर क्रियान्विति प्रतिवेदन

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल, गृह राज्यमंत्री, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा-20(2) के अन्तर्गत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2008-2009 में राजस्थान राज्य से संबंधित सिफारिशों पर क्रियान्विति प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे।

जारी-2..

3. समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन

श्री अलाउद्दीन आजाद, सभापति, प्राक्कलन समिति "ख", 2011-2012 समिति के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करेंगे :-

1- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित प्राक्कलन समिति 'ख', 2011-2012 का 20वां प्रतिवेदन; एवं

2- खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग से संबंधित प्राक्कलन समिति 'ख', 2011-2012 का 21वां प्रतिवेदन; एवं

4. याचिकाओं का उपस्थापन

श्री कैलाश चन्द भंसाली, सदस्य, विधान सभा निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करेंगे :-

1- जोधपुर शहर में स्थित सैटेलाईट अस्पताल, डिस्पेन्सरी इत्यादि में समुचित चिकित्सा स्टाफ मय उपकरण उपलब्ध करवाने के संबंध में ।

2- जोधपुर में बढ़ते भू-जल स्तर की समस्या के समाधान बाबत् ।

5 राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अग्रेत्तर वाद-विवाद एवं राज्य सरकार की ओर से उत्तर

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (वि.सं.-95), सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 28 फरवरी, 2012 को प्रस्तुत निम्नांकित प्रस्ताव पर अग्रेत्तर वाद-विवाद होगा एवं राज्य सरकार की ओर से उत्तर दिया जायेगा :-

> "इस सत्र में एकत्रित हम, राजस्थान विधान सभा के सदस्यगण, राज्यपाल द्वारा इस सदन में दिये गये अभिभाषण के प्रति उनके आभारी हैं ।"

कृष्ण मुरारी गुप्ता
उप सचिव

विधान सभा भवन,
जयपुर
दिनांक 01 मार्च, 2012